

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
16/15	53A+A, 1366RAA	बोखरी	द.ब.ग.
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
पुनर्जोतम	बनाम	सत्यनारायण	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

18/3/15	वकील द्वारा एक वा. अंतर्गत धारा 53A+A, 1366RAA विस्तृत प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट में ता का अन्वयान किया प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार के अंतर्गत उपजिला मजिस्ट्रेट को तलब पत्र प्रकरण दिनांक 24/4/15 को पेश हो	
29/4/15	वकील वादी उपरो प्रतिवादी 1 ता 7 के सम्मूह वाद टापील सन्लवठ है, प्रतिवादी न. 1, 2, 3 की कोष से 80 गिनेरु कुम्हार अठ 130 का वकालत नामा पेश हो गया है, 4 ता 6 का फाव्वर देखा जास्ते वकालत नामा एवं जवाब दिनांक 10/6/15 को पेश हो	1 ता 7 वाद नामी फाव्वर
10/6/15	वकील फरीकेन उपस्थित/पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुकाम आदि फाव्वर वास्ते दिनांक 10/6/15 को पेश हो	
8/7/15	आज फाव्वरी राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकाम- फजिलप पर मजमे आम पेश होने पर वाद पत्र पडवड सुझाव पत्रावली का संधान किया, वादी का वाद आखिर स्वीकार किया, आरात्री राम- रवोरवई तहसील हवडा रवसरा नम्बर 106/3.05, 107/6/3.05 किता 2 रववा 6.05 नीपा से वादी का 1/4 हिस्सा मिलिठे जो प्रमक हो, प्रतिवादी गण का हिस्सा 6/7 अन्वय गेसे फाव्वर व लुसी गे से लुसी, सरम-नरम लोडे पर कबत्री व शस्ते का ध्यान रखने इठ विमात्रक पुस्ताव तैमाद सरते इठ तहसील 31 र हववा से फाव्वर शिल बिग जाता है, वाद विमात्रक दिनांक 25/8/15 को पेश हो	पुनर्जोतम
25/8/15	अपवैतनीन अधिकारी के दौरे/अवकारा बन होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20-10-15 को पेश हो	
	उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारा (राज.)	
	दिनांक 20/10/15	
	दिनांक 23/11/16	

राजस्व लोक अदालत  
कैम्प कोर्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा बारा

4

25 8/12

पत्रिका COVID-19 के कारण पूर्व कत स्थिति में आज पेश हुई। बुधवार जारी केन उपस्थिति तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। पक्षकारान सहित है। मुताबिक तहसीलदार द्वारा से प्राप्त विभाजन प्रत्येक अनुसार पक्षकारान के मध्य प्रथम-प्रथम विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.स.	नामरकतेदार	खे.न.	ख.वा	ख.गान
1-	पुरुषोत्तम पुत्र मिश्रीलाल जाति राव सा. जमेशपुरा मजरा शृंगौर रदन SBBJ शाखा भेटडी	106/2	0.18	1.26

किता 1 - ख.वा 0.18 - 1.26

2-	सत्यनारायण, दुर्गलाल लक्ष्मीनारायण पुत्र मिश्रीलाल बसेंती, रुक्मणी, बनस, पुत्रिया मिश्रीलाल जाति राव सा. जमेशपुरा मजरा शृंगौर रदन SBBJ शाखा भेटडी दि० दुर्गलाल, सत्यनारायण, लक्ष्मीनारायण का।	106	2.07	3.29
		107/6	3.00	1.86

किता 2 - 5.07 - 5.15

उपरोक्तानुसार तहसीलदार द्वारा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य उपरोक्त तहसीलदार प्रथम-प्रथम विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दायर करने हेतु निर्देशित किया जाता है तदनुसार अंतिम डिजी पत्र जारी हो। पत्रिका पेशल शुमार डोकर दायित्व दायर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राज०)

दिनांक 16/01/5

धारा अंतर्गत 53, BTA

निर्णय दिनांक 25/8/02

समक्ष :- द्वारा श्री कृती मनीषा तिवारी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला-बारां

उपस्थिति :- अभिभाषक वादी मनीषा कुमारी

अभिभाषक प्रतिवादी जिनेन्द्र कुमार

**वाद शीर्षक**

1- पुरधानम 810 मिश्रीलाल जाति राव निवासी जगेशपुरा तह ६ बड़ा जिला बारां राज ० वादी

V/S

1- सत्यनारायण 2- दुर्गालाल 3 लक्ष्मीनारायण पुत्र मिश्रीलाल  
4- वसन्ती पुत्री 5- रुक्मिणी पुत्री 6 वनास पुत्री मिश्रीलाल जाति राव  
निवासी जगेशपुरा तह ६ बड़ा जिला - बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि -

मुताबिक तहसीलदार छबड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरोध पक्ष कराने के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्र.सं. नामस्वतदार स्व.नं. रकवा लगान


1 पुरधानम पुत्र मिश्रीलाल  
जाति राव सा. जगेशपुरा मजरा गुजौर रहन 5885 शाखा कोटडी 106/12 - 0.18 1.26

किता-1 रकवा 0.18 - 1.26

2- सत्यनारायण, दुर्गालाल, लक्ष्मीनारायण  
पुत्र मिश्रीलाल, वसन्ती, रुक्मिणी,  
वनास पुत्रिया मिश्रीलाल जाति राव  
सा. जगेशपुरा मजरा गुजौर रहन 5885 शाखा कोटडी 107/6 - 2.07 - 3.29  
107/6 - 2.00 - 1.86

कोटडी हिं दुर्गालाल, सत्यनारायण, लक्ष्मीनारायण किता 2- 5.07 - 5.15  
साथ ही निम्नानुसार... का। रु. का न्यायानुतोष... द्वारा... को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25/8/02 को निर्गत किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां  
छबड़ा

**व्ययानुतोष**

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	व्याज (%)		
	योग		